

साधारण सभा की सूचना

मान्यवर महोदय

सादर जय जिनेन्द्र!

हम आशा करते हैं कि आप सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे।

श्री ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली की साधारण सभा (कार्यकाल 2025-27) की सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान् अतुलजी जैन की अध्यक्षता में रविवार, दिनांक 03.05.2026 को दोपहर 4:00 बजे से जैन भवन, 12, शहीद भगतसिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली - 110 001 में आयोजित की जा रही है। आपश्रीजी से सादर अनुरोध है कि सभा में पधारकर अपने विचारों एवं महत्वपूर्ण सुझावों से सभा को लाभान्वित करें।


सभा में विचारणीय विषय सूची निम्न प्रकार से है।

विषय सूची :-

01. दिवंगत साधु-साध्वीवृंद एवं श्रावक-श्राविकाओं को श्रद्धांजलि।
02. गत् सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना।
03. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ के अमृत महोत्सव वर्ष (75वाँ) के वार्षिक आयोजनों की चर्चा एवं निर्धारण।
04. वर्तमान कार्यकाल में जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा की जा रही धार्मिक/सामाजिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना।
05. राष्ट्रीय प्रबंध समिति सभा एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित संविधान / नियम-उपनियम संशोधन समिति द्वारा तैयार किए गए संशोधित संविधान के प्रारूप को प्रस्तुत कर पास कराना।
06. अन्य विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से।

धन्यवाद सहित !

भवदीय



(डॉ. अमितराय जैन)

राष्ट्रीय महामंत्री

नोट : 1. संपूर्ण सभा में आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

2. कोरम के अभाव में सभा उसी दिन उसी स्थान पर आधे घण्टे के बाद होगी।

3. यदि कोई सदस्य किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो, केन्द्रीय कार्यालय को सभा की तारीख से 7 दिन पूर्व लिखित रूप में सूचना भेजें अन्यथा सभा में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थता हो सकती है।

4. सभा में पधारने वाले सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने आने की सूचना पहले दें ताकि आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

5. प्रस्तावित संविधान संशोधन के नियम-उपनियम आपके अवलोकनार्थ जैन कॉन्फ्रेंस की अधिकारिक वेबसाइट www.jainconference.org पर अपलोड कर दिए गये हैं तथा जैन प्रकाश समाचार पत्र अप्रैल द्वितीय 2026 के अंक में प्रकाशित किए गए हैं।

6. अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र : कार्यालय : 011 - 23363729, 23365420, 90197 31906, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव-महाप्रबंधक जैन कॉन्फ्रेंस : 98830 18244, ई-मेल: aissjc1906@gmail.com

7. विशेष सूचना : आपको अवगत करना चाहते हैं कि, संविधान-नियम/उपनियम के अनुसार नियम 9. का उपनियम (ई) '6' पृष्ठ संख्या 31 पर अंकित है कि, "राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रबंध समिति सदस्य एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य लगातार तीन सभाओं में अनुपस्थित होते हैं तो (तीन में से एक सभा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा) उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति व राष्ट्रीय प्रबंध समिति की सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जायेगी, फिर चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत। उनके कार्यकाल की वैधानिकता भी समाप्त हो जायेगी।"